THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-04 | Issue-03 | October-2025
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i3.07

राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना और भारत : एक सारगर्भित अध्ययन

[1]विकास सिंह [2]डॉ. जगदीश प्रसाद वर्मा

[1]शोधार्थी, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्य
[2]शोध निर्देशक, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग,का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

Email: vikassingh9161819000@gmail.com

सारांश

भारत एक विविधता से भरपूर और अत्यधिक संवेदनशील राष्ट्र है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है। देश की आंतरिक सुरक्षा, नागरिकों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ–साथ सामाजिक और राजनीतिक शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य देश में विद्यमान विभिन्न समस्याओं और खतरों से है, जो नागरिकों और समाज के शांतिपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं।

मुख्य शब्द – साइबर, अखण्डता, प्रभुसत्ता, एजेंसियाँ, कम्युनिस्ट, सांप्रदायिक, अभिकर्ताओं

प्रस्तावना

"सुरक्षा" एक राज्य के अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण शर्त है, जिसका सीधा संबंध राज्य की एकता, अखंडता, संप्रभुता और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से होता है। इसका तात्पर्य है कि एक राज्य को अपने राजनीतिक, सामाजिक और भौतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, ताकि उसे आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाया जा सके और उसकी सार्वभौमिकता बनाए रखी जा सके। वैश्विक राजनीति में सुरक्षा का परिभाषा आमतौर पर बाहरी सुरक्षा से जुड़ी होती है, जो सीमा पार से उत्पन्न होने वाले खतरे, जैसे युद्ध, आक्रमण या अन्य सैन्य संघर्षों से संबंधित है। सैनिक तैयारी और सैन्य शक्ति का निर्माण एक राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेना, रक्षा प्रणाली और सीमा सुरक्षा के उपाय बाहरी खतरों को नियंत्रित करने और राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार, सैनिक सुरक्षा एक आवश्यक कदम है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी और संकुचित समाधान प्रदान करती है। जे० बन्धु उपाध्याय के अनुशार "*राष्ट्र की अखण्डता, प्रभुसत्ता और जनधन को सुरक्षित रखना ही सुरक्षा है।*"

हालांकि, स्थायी और दीर्घकालिक सुरक्षा केवल सैनिक तैयारी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आर्थिक विकास, राष्ट्र निर्माण और शांति–पूर्ण विदेश नीति पर भी आधारित होती है। जब एक राष्ट्र आर्थिक रूप से सशक्त होता है और नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाएं प्रदान करता है, तो यह आंतरिक स्थिरता को बढ़ाता है और बाहरी खतरों का मुकाबला करने में अधिक सक्षम होता है।

नागरिकों की सुरक्षा और उनके जीवन की गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण कारक बनती है, क्योंकि जब एक राष्ट्र अपने नागरिकों को सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल बनाता है, तो यह न केवल आंतरिक असंतोष को कम करता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उसकी छवि और प्रभाव को सुदृढ़ करता है। इसके अतिरिक्त, शांति–पूर्ण विदेश नीति, सहयोग और बहुपक्षीय संधियों के माध्यम से सुरक्षा को सुदृढ़ करना राज्य के लिए दीर्घकालिक और स्थिर सुरक्षा का आधार बनता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सुरक्षा का केवल सैन्य दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना अधूरा है। एक राज्य की सुरक्षा का सबसे प्रभावी मॉडल वह होता है जिसमें बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों को समेकित किया जाता है। यह सुरक्षा आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, और बाहरी सहयोग की एक समग्र रणनीति पर आधारित होती है, जो राज्य की स्थिरता और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है।

कानून और व्यवस्था का उद्देश्य राष्ट्र में शांति और अनुशासन बनाए रखना है, ताकि नागरिकों को सुरक्षा मिले और सामाजिक स्थिरता बनी रहे। इसके लिए पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ जिम्मेदारी से काम करती हैं। आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमुख पहलू विद्रोह, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी समस्याओं का निवारण करना है, जो राष्ट्र की एकता और लोकतांत्रिक ढांचे को खतरे में डाल सकती हैं। इसमें उन गतिविधियों को नियंत्रित करना शामिल है जो देश की संप्रभुता और शांति के लिए संकट पैदा कर सकती हैं।

सांप्रदायिक और सांस्कृतिक एकता भी आंतरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य समाज में शांति और विविधताओं के बावजूद एकता को बनाए रखना है।

आधुनिक युग में, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा का महत्व भी आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बढ़ गया है। डिजिटल अपराध और आर्थिक संकट राष्ट्र की आंतरिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों पहलुओं से संबंधित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना अत्यधिक आवश्यक हो गया है।

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ इतनी जटिल और विविधतापूर्ण हैं कि इनका त्वरित और स्थायी समाधान करना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। इस संदर्भ में, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा तैयारियाँ और आर्थिक नीतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओं पर नियंत्रण पाने में सहायक होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक दायरे के कारण सुरक्षा, रक्षा और प्रतिरक्षा जैसे शब्दों का अर्थ कई बार परस्पर जुड़ा हुआ समझा जाता है, जिससे इनके बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। कई बार सुरक्षा को रक्षा से और रक्षा को प्रतिरक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

भारतीय सैन्य विशेषज्ञ एयर कमोडोर जसजीत सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि– *"राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा ही राष्ट्र बाहरी एवं आन्तरिक खतरों के विरुद्ध अपने मार्मिक मूल्यों को परिलक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों एवं ढांचे का निर्माण करने से पहले किसी भी राष्ट्र को अपनी आन्तरिक व बाह्य संकटों का स्वरूप एवं प्रकृति का विश्लेषण अति आवश्यक है।"*

ष्आंतरिक सुरक्षाष् का तात्पर्य राष्ट्र के भीतर शांति, व्यवस्था और कानून का पालन बनाए रखने से है। यह स्थिति विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश में आंतरिक खतरों का सामना किया जाता है, जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और अन्य असामाजिक गतिविधियाँ। आंतरिक सुरक्षा का उद्देश्य केवल कानून–व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना की स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। आंतरिक सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य उन विभिन्न खतरों से निपटना है, जो राष्ट्र की आंतरिक एकता, अखंडता और सामाजिक शांति को संकट में डाल सकते हैं। इसके अंतर्गत आतंकवाद के कारण होने वाली हिंसा, उग्रवादी विचारधाराओं का फैलाव, नक्सलवाद से उत्पन्न होने वाली असुरक्षा, और अलगाववादी आंदोलनों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। इसके साथ ही, आंतरिक सुरक्षा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामूहिकता और विश्वास को बढ़ावा देने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और शासन की वैधता को सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाती है। इस प्रकार, आंतरिक सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह समाज की समग्र संरचना और उसकी स्थिरता से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटक जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते है।

- राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा
- देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना
- कानून व्यवस्था बनाए रखना
- शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना

इन चार घटकों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर मजबूत नीतियाँ और कार्रवाइयाँ लागू करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, ताकि कोई भी देश के समक्ष उत्पन्न होने वाली आंतरिक या बाहरी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके।

भारत की आंतरिक सुरक्षा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत और जटिल है, और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना अक्सर आसान नहीं होता। आंतरिक सुरक्षा केवल कानून–व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह प्रशासन के विभिन्न अंगों के माध्यम से सटीक और समय पर जानकारी प्राप्त करने, आतंकवाद और भितरघात को रोकने, और एक मजबूत सामाजिक ढांचे का निर्माण करने पर भी निर्भर करती है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा समाज में व्याप्त अस्वस्थता और भ्रष्ट आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थाओं से नहीं, बल्कि आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, भितरघात और असामाजिक तत्वों के कृत्यों से उत्पन्न होता है।

देश में अलगाववादी विचारधाराओं के फैलाव से उग्रवाद और विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे एक सशस्त्र विद्रोही समूह का निर्माण हो रहा है, जो राष्ट्र की शक्ति को कमजोर कर रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए एक सशक्त, समन्वित और प्रौद्योगिकी–समर्थित रणनीति की आवश्यकता है, ताकि इन आंतरिक खतरों से देश को बचाया जा सके। आतंकवाद मानवता के लिए एक गंभीर और निरंतर खतरा बन चुका है, लेकिन इसके खिलाफ लोगों में व्याप्त उदासीनता और सत्ता के स्तर पर इसके समाधान के लिए आवश्यक गंभीर प्रयासों की कमी एक और बड़ा संकट बन चुकी है। वर्तमान में, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद और देश में बढ़ते उग्रवाद और नक्सलवाद की स्थिति एक धीमे और खतरनाक दीमक की तरह है, जो धीरे–धीरे भारत की आंतरिक सुरक्षा की बुनियाद को कमजोर कर रही है।

भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने आने वाली चुनौतियाँ अत्यधिक विविध और जटिल हैं। भारत की भू–राजनैतिक स्थिति, इसके पड़ोसी देशों से संबंध, और इसकी लंबी और संवेदनशील सीमाएँ इसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक संवेदनशील राष्ट्र बनाती हैं। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ हैं

नक्सलवाद, जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के तहत उत्पन्न हुआ, आज भी देश के कई राज्यों में सक्रिय है। इस आंदोलन की उत्पत्ति 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, जब चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। नक्सलवाद ने देश के कई हिस्सों में भारी हिंसा और अस्थिरता पैदा की है, और यह आज भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।

धार्मिक कट्टरता और जातीय संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में कई सांप्रदायिक हिंसाएँ हुई हैं, जिससे देश की बहुलवादी संस्कृति को नुकसान पहुंचा है। विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों द्वारा सामाजिक असमानताओं और वैमनस्यता को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती रही है, जिससे साम्प्रदायिक उन्माद और दंगे होते हैं। भ्रष्टाचार को आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह सरकारी नीतियों, प्रशासनिक क्षमता और कानून–व्यवस्था को कमजोर करता है। यह देश के विकास और सुरक्षा को प्रभावित करता है, और विभिन्न क्षेत्रों में असंतोष और असुरक्षा की भावना पैदा करता है।

भारत के पड़ोसी देशों में स्थित "स्वर्णिम त्रिभुज" और "स्वर्णिम अर्धचंद्राकार" जैसे क्षेत्र मादक पदार्थों के व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। इन क्षेत्रों से मादक पदार्थों का निर्यात भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है, क्योंकि यह देश में अपराध, हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देता है।

मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत अवैध रूप से अर्जित धन को वैध रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यह काले धन को वैध बनाने का काम करता है और मादक पदार्थों के व्यापार, आतंकवाद और अन्य अपराधों के लिए वित्तीय स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। यह आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पैदा करता है, क्योंकि यह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण नीति संकट का कारण बनता है।

आतंकवाद का उदय न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या बन चुका है। आतंकवादी गतिविधियाँ देश में असुरक्षा, भय और संकट पैदा करती हैं। आतंकवाद का स्वरूप अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, और इसके कारण भारत को असंख्य सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है।

संगठित अपराध में विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह एकजुट होकर अवैध गतिविधियों को अंजाम देता है, जैसे अपहरण, जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, और साइबर अपराध। इन अपराधों के प्रभाव से न केवल समाज में असुरक्षा पैदा होती है, बल्कि ये देश की आंतरिक स्थिरता को भी खतरे में डालते हैं।

साइबर अपराध आज के डिजिटल युग में, जहां इंटरनेट और तकनीकी विकास ने मानव जीवन को पहले से कहीं अधिक निर्भर बना दिया है, साइबर सुरक्षा का महत्व भी अत्यधिक बढ़ गया है। साइबर सुरक्षा का मतलब है कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा करना, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति, हैकर या अन्य गलत तत्व हमारी व्यक्तिगत, सरकारी और व्यावसायिक जानकारी का दुरुपयोग न कर सकें। साइबर हमले और सुरक्षा उल्लंघन अब एक आम समस्या बन चुके हैं। आजकल, विभिन्न प्रकार के साइबर हमले जैसे मालवेयर, रैनसमवेयर, फिशिंग, डेटा चोरी, और साइबर आतंकवाद जैसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इन हमलों के माध्यम से हैकर्स न केवल व्यक्तिगत जानकारी चुराते हैं बल्कि पूरे नेटवर्क को नष्ट करने

का प्रयास भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर, रैनसमवेयर हमलों में साइबर अपराधी एक सिस्टम को लॉक कर देते हैं और डेटा को वापस पाने के लिए पैसे की मांग करते हैं।

बाह्य राज्य अभिकर्ताओं में वे देशों और संस्थाएँ शामिल हैं जो सैन्य या अन्य उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप, 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। ऐसे देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और अवैध गतिविधियाँ आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं।

भारत में अवैध घुसपैठ और शरणार्थियों की समस्या भी बाह्य राज्यों द्वारा उत्पन्न की जाती है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को संकट में डालते हैं। इसके अलावा, कुछ अतिवादी संगठन अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और ये संगठन अन्य देशों से संचालित हो रहे हैं।

समकालीन वैश्विक परिवेश में, गैर–राज्य अभिकर्ताओं का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। ये अभिकर्ता वे संगठन होते हैं जिनके पास संप्रभुता या वैधानिक शक्ति नहीं होती, लेकिन ये किसी भी राज्य की नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें गैर–सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, आतंकवादी समूह, धार्मिक और जातीय संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया शामिल हैं। इनमें से कुछ व्यवस्था समर्थक होते हैं जबकि कुछ व्यवस्था विरोधी होते हैं। इनकी गतिविधियाँ वैश्विक स्तर पर महसूस की जाती हैं और इन्हें समानांतर सरकार के रूप में देखा जाने लगा है। समग्र रूप से, ये सभी चुनौतियाँ आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं और एक समन्वित और सशक्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत की आंतरिक सुरक्षा को सीमापार से उत्पन्न खतरों से बचाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों के बीच एकता और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। साथ ही, राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण में सुधार, आंतरिक और बाहरी शत्रुओं की पहचान करने की तत्परता और उन्हें कड़े दंड देने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और समन्वित रणनीति की आवश्यकता है, ताकि देश की सुरक्षा को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके और विघटनकारी प्रयासों को विफल किया जा सके। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, राज्य, राष्ट्र और सुरक्षा से जुड़े सैद्धांतिक ज्ञान का विस्तृत विश्लेषण करते हुए, उन पहलुओं का मूल्यांकन किया जा रहा है जो आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं। साथ ही, आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख खतरों को समझने और उनसे निपटने के उपायों को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। सुरक्षा के समग्र अध्ययन के माध्यम से हम आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को गहरे से समझ सकते हैं।

आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी उपायों की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर तत्काल लागू किए जाने चाहिए। सबसे पहले, खुफिया तंत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिससे हम त्वरित और सटीक सूचना प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा पर गठित कैबिनेट समिति को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से उत्पन्न होने वाले खतरों के खिलाफ एक सक्रिय और प्रभावी रणनीति तैयार करनी चाहिए, जो प्रतिक्रियाशील होने की बजाय पहल करने वाली हो।

इसके अलावा, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को सुरक्षा प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए जागरूक करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें सुरक्षा के मामलों को गंभीरता से लें। जब सुरक्षाबल नक्सलवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगे होते हैं, तो राज्य सरकारों को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में, 'SAMADHAN पहल' एक सराहनीय कदम है।

भारत में साइबर सुरक्षा के मामलों में वृद्धि हो रही है, और इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000" के तहत कई कड़े नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा, ष्भारतीय साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र (CYBER CELL)" और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT&In)" जैसे संगठन नागरिकों और संस्थाओं को साइबर सुरक्षा मामलों में मदद और सलाह देते हैं। साइबर सुरक्षा अब एक अभिन्न आवश्यकता बन चुकी है, न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे डिजिटल उपकरण सुरक्षित रहें, साइबर सुरक्षा के उपायों को अपनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका पालन करके हम अपने व्यक्तिगत, सरकारी, और व्यावसायिक डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और साइबर अपराध से बच सकते हैं। राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी तत्काल ध्यान में लाया जाना चाहिए, ताकि वे अधिक प्रभावी तरीके से आंतरिक सुरक्षा में योगदान कर सकें। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए, विभिन्न नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करना आवश्यक है, और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संगठित अपराधों से लड़ने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए, हर विभाग में विशेष साइबर सुरक्षा सेल का गठन और आईटी अधिनियम में संशोधन कर कड़े दंडात्मक प्रावधानों को लागू करना जरूरी है। सीमा की निगरानी और प्रबंधन के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही, भारत सरकार को एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करनी चाहिए, जिसके तहत श्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासनिक सेवाश जैसे नए केंद्रीय संस्थाओं का गठन किया जाए।

निष्कर्ष रूप में, सरकार ने कुछ पहल किए हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन, और रक्षा नियोजन समिति की स्थापना। हालांकि, ये प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर किए गए हैं, और अब आवश्यकता है कि इन्हें एक समग्र ढांचे में एकत्र किया जाए, ताकि ये सभी संस्थाएँ मिलकर काम कर सकें। आजकल, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में अंतर करना मुश्किल हो गया है, और वास्तविक खतरे गुप्त कार्रवाइयों, विद्रोही गतिविधियों, और आतंकवाद हैं।

संदर्भ

- https://www.vifindia.org/article/2023/march/17/indias-internal-security-challenges
- डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, राष्ट्रिय रक्षा व सुरक्षा, मोर्डन पब्लिशर्ज, जलंधर पेज न. – 4
- भट, पी.एन.एम., इंडियाज इन्टरनल सिक्यूरिटीरू एन्अल रिव्यू 2006 लांसर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटस 2007
- डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, राष्ट्रिय रक्षा व सुरक्षा, मोर्डन पब्लिशर्ज, जलंधर पेज न. – 4,5
- https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/internal-security-of-india-and-their-challenges
- https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/549065/1/48832.pdf
- https://www.cert-in.org.in/

Cite this Article:

सिंह विकास, वर्मा डॉ. जगदीश प्रसाद, राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना और भारत रू एक सारगर्भित अध्ययन, The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, pp.57–62. https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i3.07

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

[1]विकास सिंह [2]डॉ. जगदीश प्रसाद वर्मा

For publication of research paper title

राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना और भारत : एक सारगर्भित अध्ययन

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-03, Month October, Year-2025.

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i3.07